27/11/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपा०। प्रार्थी का मूलवाद सं० 28/25 प्रा०पत्र 07R11 जो०सी स्वीकार किये जाने पर वादी/प्रार्थी का वाद खारिज किया जा चुका है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र जारी/चलने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज र० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]